



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1353]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 2, 2016/ज्येष्ठ 12, 1938

No. 1353]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 2, 2016/ JYAISTHA 12, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2016

आय-कर

का.आ. 1948 (अ)—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की भारत के राजपत्र, असाधारण में का.आ. सं. 709(अ) तारीख 20 अगस्त, 1998 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम सं. 35 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

क्रम सं.	वित्त वर्ष	लागत मुद्रा स्फीति सूचकांक
(1)	(2)	(3)
"36	2016-17	1125"

[अधिसूचना सं. 42 /2016 : फा. सं. 142/5/2016-टीपीएल]

प्रवीण रावल, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 709(अ) तारीख 20 अगस्त, 1998 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन का.आ. सं. 2031(अ) तारीख 24.7. 2015 द्वारा किया गया था।